

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 31.10.2020

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-18 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

शिवशंकर पुत्र राम विलास नि० रेतादल सिंह थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-357/20, 02. हरी राम यादव पुत्र सीताराम यादव नि० कटहा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-358/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. निहाल सिंह पुत्र निरहू सिंह नि० लक्ष्मणपुर जाट थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-449/20, 02. रघुवीर सिंह पुत्र अमर सिंह नि० गौधी नगर कस्बा व थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-450/20, 03. पिकू पुत्र राधेश्याम नि० शुकुलन पुरवा थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-451/20, 04. शिव कुमार पुत्र अमर बहादुर नि० रायपुर थाना टिकैत नगर जनपद बाराबंकी के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-452/20, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राधेश्याम खटिक पुत्र रामबदल खटिक नि० रमईपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा व श्रीमती भाना पुत्री मोतीलाल खटिक नि० रमईपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 50 ली० अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 08 किलो० नौसादर व 01 किलो० यूरिया बरामद कर मु०अ०सं०-331/20, धारा 272 भादवि व 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

बलवा करने के 06 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. मुस्तफा पुत्र बसन्त नि0 जोलाहन पुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
02. मारुक पुत्र अहमद हुसैन नि0 जोलाहन पुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
03. शमशाद अहमद पुत्र असगर अली नि0 जोलाहन पुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
04. सलमान पुत्र शमशाद नि0 जोलाहन पुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
05. रिजवान पुत्र पुत्तन नि0 जोलाहन पुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।
06. पुत्तन पुत्र सहदुल्ला नि0 जोलाहन पुरवा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-139/20, धारा 147.148.149.307.232.504.506 भादवि व 3(1)द,ध एस0सी0एस0टी0 एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

संक्षिप्त विवरण—

उक्त अभियुक्तों ने दिनांक 22.08.2020 को बहेला जानवर भगाने की बात को लेकर वादी राम कैलाश पुत्र जगदीश गौतम नि0 चमारनडीह सहेरिया कला थाना कौड़िया जनपद गोण्डा व उसके परिजनों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए जान से मारने की नियत से लाठी-डण्डों से मारपीट कर घायल कर दिया था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना कौड़िया में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें कौड़िया पुलिस ने कार्यवाही करते हुए वांछित चल रहे उक्त आरोपी अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।